

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, केकड़ी (अजमेर) राज.

Email ID - npkekri2011@gmail.com ☎(O) : 01467-220002, 220019 web site : www.urban.rajasthan.gov.in/ulbkekri
क्रमांक : न.पा.के./ प्र.शा.के.सं.अभि.-21/2022-23/1934 दिनांक : 15.07.2022

-: एम्पावर्ड कमेटी बैठक दिनांक 15.07.2022 की बैठक कार्यवाही विवरण :-

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 एवं पत्र क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021/म.मं. झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के द्वारा "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021" के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 15.07.2022 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय नगरपालिका में आहूत की गई जिसमें अधिकृत कमेटी के निम्नांकित पदाधिकारी/सदस्यगण उपस्थित हुये :-

1. श्री कमलेश कुमार साहू, अध्यक्ष, नगरपालिका केकड़ी।
2. श्री बसन्त कुमार सैनी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका केकड़ी।
3. श्री घासी लाल गुर्जर, सहायक अभियंता, नगरपालिका केकड़ी।
4. श्री भागचन्द बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार नगरपालिका केकड़ी।
5. सुश्री मंजुलता कुमारी, वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका केकड़ी।

अध्यक्ष
सदस्य सचिव
सदस्य
सदस्य
सदस्य

एम्पावर्ड कमेटी में कोरम पूरा होने पर श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगरपालिका केकड़ी की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव सं. 01 : प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के द्वितीय चरण के दौरान पालिका में जॉब बेसिस पर कार्मिक रखने पर विचार-

अधिशासी अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के द्वितीय चरण में दिनांक 15.07.2022 से नगरपालिका केकड़ी के समस्त 40 वार्डों में सघन शिविरों का संचालन करने लक्ष्य अनुरूप पदों की पत्रावलियां तैयार करने एवं विकास कार्यों की अधिकता को देखते हुए नगरपालिका को उपयुक्त योग्यता धारी दो तकनीकी सहायकों एवं एक आई टी एक्सपर्ट की आवश्यकता है, जिनमें एक तकनीकी सहायक एवं एक आई टी एक्सपर्ट के पद पूर्व में सृजित है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.5()स्टोर/डीएलबी/2022/2895 -3140 दिनांक 13.07.2022 से निकार्यों को अपने स्तर पर आवश्यकता उपयोगिता अनुसार कार्मिकों की संख्या निर्धारण करने एवं कार्मिकों की मांग हेतु अधिकृत फर्म को कार्यादेश देकर अभियान का सुगम संचालन करने के निर्देश प्रदान किये गये है। इस सम्बन्ध में दो तकनीकी सहायकों एवं एक आई टी एक्सपर्ट की पालिका में आवश्यकता है। जिसकी मांग अधिकृत रॉयल सिक्यूरिटी सर्विसेज जयपुर से निर्धारित मानदेय से की जानी उचित होगी जिसमें कमेटी का निर्णय अपेक्षित है।

बाद विचार विमर्श कमेटी द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान को मध्य नजर रखते हुए अधिकृत फर्म रॉयल सिक्यूरिटी सर्विसेज जयपुर से पालिका में दो तकनीकी सहायक व एक आई टी एक्सपर्ट रखे जाने का सर्व सम्मति से निर्णय पारित किया गया।

प्रस्ताव सं. 02 : कृषि भूमि में पूर्व अनुमोदित योजनाओं में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार :-

अधिशासी अधिकारी ने कृषि भूमि में पूर्व अनुमोदित योजनाओं में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रकरण कमेटी में रखे है जो निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक/पिता का नाम	खसरा संख्या		स्वीकृत योजना	भूखण्ड नम्बर	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रयोजनार्थ
		नया	पुराना				
1	श्री चेतन सिंह राठौड पुत्र गणेश सिंह राठौड	4084	3132	मारुति कॉलोनी	05	111.52	आवासीय
2	खुशबु विजय/नरेन्द्र विजय	4273	2925	वी. एम. कॉलोनी	24	76.20	आवासीय
3	श्रीमति मंजू कंवर पत्नि सत्यनारायण सिंह	3803, 3804	3429	लवकुश कॉलोनी	48	140.14	आवासीय
4	श्री सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर दरोगा	3803, 3804	3429	लवकुश कॉलोनी	33	91.07	आवासीय
5	श्रीमति गुणमाला पत्नि अशोक कुमार	9133/3474	3660, 3601	पालीवाल नगर	3, 4	765.88	व्यवसायिक
6	श्रीमती सीतू विजयवर्गीय/रामबाबू विजयवर्गीय	3914, 3915	4104, 4105	एम. डी. एस नगर	2, 5	386.11	आवासीय
7	श्री गोपी पुत्र सूरजमल गुर्जर	1187, 1229	4207	श्रीकृष्ण कॉलोनी	1, 2, 3	347.95	आवासीय

8	श्रीमती प्रीती कंवर/अमित कुमार बसेर	211	4319	रतन नगर	99	71.56	आवासीय
9	श्रीमती रीना कुमारी/शंकर सिंह राजावत	4069	3148	आनन्द नगर	24	100.26	आवासीय
10	श्रीमती भंवरी बाई/स्व. दीन दयाल	4247	3024	कंचन कॉलोनी	15	107.80	आवासीय
11	श्री चेतन कुमार/चोरतमल रेगर	5037	748/4	जनता द्वितीय	05	104.08	आवासीय
12	श्री डालचन्द/सत्यनारायण खटीक	4074, 4075, 4079	3139 मी.	शिवाजी नगर	8, 9	223.04	आवासीय
13	श्रीमती कमला/गोविन्द राम शुक्ला	4069	3148	आनन्द नगर	32	84.56	आवासीय
14	श्रीमती कविता देवी वैष्णव/विनय कुमार	8966/3736	3411	विकास नगर चतुर्थ	19	93.53	आवासीय
15	श्रीमती सुशीला सेठी/महावीर जैन	8823/4121	3098	जगदीश कॉलोनी	12	122.67	आवासीय
16	श्री मकबूल खां/बशीर खां	6219, 9150/6219, 6151/6219, 9152/6219	2041 से 2044, 2407/1, 2408/1	विकास नगर	110	80.63	आवासीय
17	श्रीमती प्रेम देवी/गंगाराम रेगर	3803, 3804	3429	ब्यावर रोड	14	97.58	आवासीय
18	शीतल कटारिया/मोहनलाल कटारिया	3925 से 3928, 3932, 3933	4123 से 4128	शान्तीनाथ नगर द्वितीय	21	98.14	आवासीय
19	श्री बनवारी सोनी/दामोदर	3925 से 3928, 3932, 3933	4124 से 4128	शान्तीनाथ नगर द्वितीय	23	122.22	आवासीय
20	श्रीमती जरीना बेगम/सिराजुद्दीन	111, 112	68/1	लक्ष्मी कॉलोनी	33	115.55	आवासीय
21	श्री रविप्रकाश पाण्डे/राजेन्द्र प्रकाश	111, 112	68/1	लक्ष्मी कॉलोनी	23	133.33	आवासीय
22	श्रीमती गायत्री धाकड/सुखलाल धाकड	3955, 3954	4155	बजाज कॉलोनी	49, 50	248.88	आवासीय
23	श्री बट्टी पुत्र घनश्याम तेली	211	4319	रतन नगर प्रथम	47	111.11	आवासीय
24	श्री महावीर प्रसाद पुत्र सत्यनारायण	2640, 2638/8605	-	तिरुपति कॉलोनी	47, 48	25.74	आवासीय

उक्त पत्रावलियों का क्र.सं. 1 से 24 तक कमेटी द्वारा एक-एक कर अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि क्रम संख्या 1 से 24 तक पत्रावलियों में दस्तावेजों की पूर्ति, कनिष्ठ अभियंता मौका रिपोर्ट व स्वीकृत ले-आउट प्लान में होने से सभी पत्रावलियों के पट्टे जारी करने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्ताव सं. 03 :- राजस्व ग्राम अजगरी तहसील सरवाड नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी में स्थित खसरा नं 763/539 रकबा 2.43 हैक्टर में से 6075 वर्गमीटर भूमि का धारा 90 के तहत मोटल प्रयोजनार्थ पुनः आवंटन बाबत आवेदक श्री रामदयाल पुत्र काना बलाई के प्रकरण में तकनीकी स्वीकृति का अनुमोदन व पट्टा जारी करने पर विचार :-

कमेटी ने पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व ग्राम अजगरी तहसील सरवाड व नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी में स्थित आराजी खसरा नं 763/539 रकबा 2.43 हैक्टर में से 6075 वर्गमीटर भूमि पर मोटल प्रयोजनार्थ धारा 90 क के अंतर्गत अनुज्ञा व आवंटन हेतु प्राप्त प्रकरण में आवेदित भूमि को राजस्व रास्ता जिसकी चौड़ाई 30.35 फीट प्राप्त होने से नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना 10.08.2020 अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर विद्यमान सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का निर्णय एम्पावर्ड बैठक दिनांक 29.06.2022 प्रस्ताव 03 द्वारा लिया जाने से आवेदित प्रकरण में कनिष्ठ अभियंता व वरिष्ठ प्रारूपकार की जांच तथा सहायक नगर नियोजक नगर निगम अजमेर द्वारा प्रकरण में जारी की गई तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन होने से धारा 90 क के तहत एकल भूखण्ड (मोटल प्रयोजनार्थ) का ले आउट प्लान का अनुमोदन तथा एकल पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से दी जाती है।

प्रस्ताव सं. 04 :- राजस्व ग्राम अजगरी तहसील सरवाड नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी में स्थित खसरा नं 763/539 रकबा 2.43 हैक्टर में से 6075 वर्गमीटर भूमि का धारा 90 क के तहत कुटीर उद्योग प्रयोजनार्थ पुनः आवंटन बाबत आवेदक श्री रामदयाल पुत्र काना बलाई के प्रकरण तकनीकी स्वीकृति एवं पट्टा जारी करने पर विचार :-

कमेटी ने पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व ग्राम अजगरी तहसील सरवाड व नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी में स्थित आराजी खसरा नं 763/539 रकबा 2.43 हैक्टर में से 6075 वर्गमीटर भूमि पर कुटीर उद्योग प्रयोजनार्थ धारा 90 क के अंतर्गत अनुज्ञा व आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन में आवेदित भूमि को राजस्व रास्ता जिसकी चौड़ाई 30.35 फीट प्राप्त होने से नगरीय विकास विभाग की

(Handwritten signature)

अधिसूचना 10.08.2020 अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर विद्यमान सडक की चौड़ाई बढ़ाने का निर्णय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 29.06.2022 प्रस्ताव सं 03 द्वारा लिये जाने से आवेदित प्रकरण में कनिष्ठ अभियंता एवं वरिष्ठ प्रारूपकार की जांच तथा सहायक नगर नियोजक नगर निगम अजमेर द्वारा प्रकरण में तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन करने से धारा 90 क के तहत एकल भूखण्ड (कुटीर उद्योग) का ले आउट प्लान का अनुमोदन तथा एकल पट्टा जारी करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

प्रस्ताव सं. 05 :- राजस्व ग्राम अजगरी तहसील सरवाड नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी में स्थित खसरा नं 763/539 रकबा 2.43 हैक्टर में से 6075 वर्गमीटर भूमि का धारा 90 क के तहत कुटीर उद्योग प्रयोजनार्थ पुनः आवंटन बाबत आवेदक श्री रामदयाल पुत्र काना बलाई के प्रकरण तकनीकी स्वीकृति एवं पट्टा जारी करने पर विचार :-

कमेटी ने पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व ग्राम अजगरी तहसील सरवाड व नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी में स्थित आराजी खसरा नं 763/539 रकबा 2.43 हैक्टर में से 6075 वर्गमीटर भूमि पर कुटीर उद्योग प्रयोजनार्थ धारा 90 क के अंतर्गत अनुज्ञा व आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन में आवेदित भूमि को राजस्व रास्ता जिसकी चौड़ाई 30.35 फीट प्राप्त होने से नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना 10.08.2020 अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर विद्यमान सडक की चौड़ाई बढ़ाने का निर्णय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 29.06.2022 प्रस्ताव सं 03 द्वारा लिये जाने से आवेदित प्रकरण में कनिष्ठ अभियंता एवं वरिष्ठ प्रारूपकार की जांच तथा सहायक नगर नियोजक नगर निगम अजमेर द्वारा प्रकरण में तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन करने से धारा 90 क के तहत एकल भूखण्ड (कुटीर उद्योग) का ले आउट प्लान का अनुमोदन तथा एकल पट्टा जारी करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

प्रस्ताव सं. 06 :- राजस्व ग्राम अजगरी तहसील सरवाड नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी में स्थित खसरा नं 763/539 रकबा 2.43 हैक्टर में से 6075 वर्गमीटर भूमि का धारा 90 क के तहत कुटीर उद्योग प्रयोजनार्थ पुनः आवंटन बाबत आवेदक श्री रामदयाल पुत्र काना बलाई के प्रकरण तकनीकी स्वीकृति एवं पट्टा जारी करने पर विचार :-

कमेटी ने पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व ग्राम अजगरी तहसील सरवाड व नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी में स्थित आराजी खसरा नं 763/539 रकबा 2.43 हैक्टर में से 6075 वर्गमीटर भूमि पर कुटीर उद्योग प्रयोजनार्थ धारा 90 क के अंतर्गत अनुज्ञा व आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन में आवेदित भूमि को राजस्व रास्ता जिसकी चौड़ाई 30.35 फीट प्राप्त होने से नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना 10.08.2020 अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर विद्यमान सडक की चौड़ाई बढ़ाने का निर्णय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 29.06.2022 प्रस्ताव सं 03 द्वारा लिये जाने से आवेदित प्रकरण में कनिष्ठ अभियंता एवं वरिष्ठ प्रारूपकार की जांच तथा सहायक नगर नियोजक नगर निगम अजमेर द्वारा प्रकरण में तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन करने से धारा 90 क के तहत एकल भूखण्ड (कुटीर उद्योग) का ले आउट प्लान का अनुमोदन तथा एकल पट्टा जारी करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

प्रस्ताव सं. 07 :- राजस्व ग्राम केकडी तहसील केकडी में स्थित खसरा नं 344, 867 रकबा 0.67 हैक्टर में से 5975 वर्गमीटर भूमि का 90 ए के तहत कृषि आधारित वेयर हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) पुनः आवंटन बाबत आवेदक श्री दुर्गा पुत्र पोलू बलाई के प्रकरण में वरिष्ठ नगरनियोजक अजमेर के पत्रांक 694 दिनांक 28.06.22 से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के अनुमोदन पर विचार :-

कमेटी ने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदित भूमि राजस्व ग्राम केकडी तहसील केकडी में स्थित खसरा नं 344, 867 रकबा 0.67 हैक्टर में से 5975 वर्गमीटर भूमि का कृषि आधारित (कुली, खल, गौदाम) प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) भूमि का 90 ए के तहत पुनः आवंटन प्रकरण में वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर के पत्रांक 694 दिनांक 28.06.2022 से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अधीन ले आउट प्लान अनुमोदन की स्वीकृति तथा एकल पट्टा जारी करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव सं. 08 :- पालिका द्वारा जारी ई-निविदाओं में प्राप्त सिंगल निविदाओं के अनुमोदन पर विचार -

श्रीमान् सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पालिका में जारी ई-निविदाओं में निम्न कार्यों की एकल निविदाएं प्राप्त हुई हैं।

1. वार्ड नं. 15 में पथवारी से बाई पास तक नाला व नाली निर्माण कार्य।
2. वार्ड नं. 32 में चिन्हित स्थानों पर इन्टर लोकिंग ब्लॉक व नाली निर्माण कार्य।
3. वार्ड नं. 28 में देवगांव गेट के बाहर कब्रिस्तान के गेट व अन्य कार्य।
4. वार्ड नं. 26 में पार्क में पेड़ पौधे, झुले लगाने, शौचालय निर्माण एवं चिन्हित स्थानों पर नाली निर्माण कार्य।
5. वार्ड नं. 25 में नेहरू पार्क में सोन्दर्यकरण का कार्य व नाली निर्माण कार्य।
6. वार्ड नं. 40 में चिन्हित स्थानों पर सीसी सडक व नाली निर्माण कार्य।
7. सीएम जनआवास योजना के रास्ते पर डिवाइडर निर्माण व पौधे लगाने का कार्य।

बाद विचार विमर्श उक्त एकल निविदाओं के कार्य आवश्यक प्रकृति के होने एवं निविदाएं ऑन लाईन होने से उक्त एकल निविदाओं को अनुमोदन कर कार्य करवाये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव सं. 09:- निविदा कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार -


श्रीमान् सहायक अभियन्ता द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि पालिका में निम्न 1 से 3 तक की विकास कार्यों की ई-निविदाएं जारी की गयी एवं 5 व 6 की ई-निविदा जारी की जानी है जिसमें प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है।


1. नगरपालिका क्षेत्र में मिट्टी व जीएसबी डालने का कार्य- 41.33 लाख
2. पोकी नाडी में सीसी सडक निर्माण कार्य - 28.78 लाख





3. नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर हाई मास्क लगाने का कार्य - 26.31 लाख
 4. छोटे तालाब में सिल्टिंग व भराव का कार्य- 31.07 लाख
 5. कादेडा रोड पर शेष नाला निर्माण कार्य - 30.00 लाख
- बाद विचार विमर्श कमेटी द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत आदेश क्रमांक प.8(ग)() नियम/डीएलबी/2021/68864 दिनांक 27.09.2021 बोर्ड में निहित शक्तियां जो एम्पावर्ड को प्रदत्त की गयी है। जिसका प्रयोग करते हुए दर संविदा एव सामग्री अधिनियम 1974 के अनुसार उपरोक्त 1 से 5 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।


इसके पश्चात् सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।


(कमलेश कुमार साहू)
अध्यक्ष
नगरपालिका केकड़ी


(घासी लाल गुर्जर)
सहायक अभियन्ता
नगर पालिका, केकड़ी


(बसन्त कुमार सैनी)
अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका केकड़ी


(भाग चन्द बैरवा)
कनिष्ठ लेखाकार
नगरपालिका केकड़ी



(मन्जूलता कुमारी)
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपालिका केकड़ी

क्रमांक : न.पा.के./ प्र.शा.के.सं.अभि.-21/2022-23/1935-39

दिनांक : 15.07.2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. श्रीमान् उपनिदेशक महोदय (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
3. श्रीमान् सहायक नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, अजमेर।
4. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका केकड़ी।
5. सम्बन्धित शाखा प्रभारी, नगरपालिका केकड़ी।
6. संरक्षित पत्रावली।


(बसन्त कुमार सैनी)
सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी
एवं अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका केकड़ी